कार्यालय पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 05-10-2021

शारदीय नवरात्रि त्यौहार दिनांक 07.10.2021 से प्रारम्भ होकर दिनांक 14.10.2021 तक एवं विजयदशमी त्यौहार दिनांक 15.10.2021 को मनाया जायेगा। उक्त अवसर पर विभिन्न मन्दिरों एवं पण्डालों में भिन्न-भिन्न तिथियों पर पूजा/अर्चना का कार्यक्रम होता है। नवरात्रि के दौरान सप्तमी व अष्टमी से पूजा पण्डालों में दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना होती है, जिसके दौरान भारी संख्या में भीड़ दर्शनार्थ एकत्रित होती है, जिसका तिथिवार विवरण निम्नवत है-

क्र0 सं0	दर्शन पूजन की तिथि	मंदिर का नाम	थाना	अनुमानित संख्या
1	07.10.2021	शैलपुत्री मंदिर	जैतपुरा	20-25 हजार
2	08.10.2021	ब्रम्हचारिणी देवी मंदिर	कोतवाली	10-15 हजार
3	09.10.2021	चन्द्रघण्टा देवी मंदिर	चौक	10-15 हजार
4	10.10.2021	कुष्माण्डा देवी/दुर्गा मंदिर, दुर्गाकुण्ड	भेलूपुर	25-30 हजार
5	11.10.2021	बागेश्वरी देवी मंदिर (स्कन्द माता)	जैतपुरा	10-12 हजार
6	11.10.2021	कात्यायिनी देवी मंदिर	चौक	10-15 हजार
7	12.10.2021	कालरात्रि देवी मंदिर	दशाश्वमेध	10-15 हजार
8	13.10.2021	महागौरी/अन्नपूर्णा मंदिर	दशाश्वमेध	20-25 हजार
9	14.10.2021	सिद्धिदात्रि देवी मंदिर	कोतवाली	15-20 हजार
10	15.10.2021	विन्ध्यवासिनी देवी मंदिर (शीतला घाट)	दशाश्वमेध	15-20 हजार

उपरोक्त के दृष्टिगत पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा शांति/सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था हेतु सम्बन्धित को निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किये हैं-

1. उपरोक्त के दौरान कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

2. विगत वर्षों के अभिलेखों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराया जाय।
3. दुर्गापूजा समितियों की सूची, उनके सम्पर्क नं0, स्थान, रूट सहित तैयार कराया जाय।
4. पूजा पण्डाल प्रबन्धकों/समितियों की बैठक कर उन्हे कोविड-19 महामारी के दिशा-निर्देशों के पालन, पण्डालों के आकार, सीसीटीवी कैमरों व अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता एवं यातायात व सुरक्षा व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में बताते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करा ली जाय।
5. पूजा पण्डाल स्थापना स्थलों का भ्रमण कर उनके स्थान, आकार एवं आवागमन बाधित न हो इस हेतु पूर्व से ही कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाय।
6. विवादित/संवेदनशील स्थलों का भ्रमण कर समस्या का समाधान एवं आवश्यक पुलिस प्रबन्ध की रूपरेखा पूर्व में ही तैयार कर ली जाय।
7. शान्ति समितियों के सदस्यों तथा दोनों सम्प्रदायों के सम्भ्रान्त व्यक्तियों के साथ बैठक करके संवाद स्थापित किया जाय तथा उन्हे अपने सम्पर्क में रखा जाय।
8. सभी शरारती तत्वों को चिन्हित कर उनकी सूची बनाकर उनके विरूद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।
9. विसर्जन हेतु मा0 उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश का अनुपालन कराते हुए सभी निर्धारित रूटों की भ्रमण, वाहनों के आकार एवं व्यक्तियों की संख्या का निर्धारण करा लिया जाय।
10. अग्निशमन अधिकारी द्वारा सभी पण्डालों का भ्रमण कर अग्निशमन यंत्रों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
11. त्यौहार के दौरान छोटी से छोटी घटना पर सतर्क दृष्टि रखी जाय तथा तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
12. सोशल मीडिया की खबरों पर सतर्क दृष्टि रखी जाय तथा अफवाहों का खण्डन करते हुए फैलाने वालों के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
13. सभी सहायक पुलिस आयुक्तों को निर्देशित किया गया कि अपने-अपने क्षेत्र के मंदिरों की व्यवस्था का प्लान तैयार करें तथा गत वर्षों की व्यवस्था की समीक्षा करेंगें।
14. पुलिस उपायुक्त काशी/वरूणा जोन व अपर पुलिस उपायुक्त काशी/वरूणा जोन को निर्देशित किया गया कि स्वयं मौके पर जाकर तैयारी का जायजा लेंगे।

उपरोक्त के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा दिनांक 07.10.2021 को चन्द्रदर्शनानुसार मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा पचासा का पर्व मनाये जाने, अलम/ताजिया/दुलदुल/अखाड़ा का जुलूस इत्यादि निकालने के दौरान भी आवश्यक पुलिस प्रबन्ध करने व सतर्क दृष्टि रखने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस आयुक्त,
वाराणसी।